राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति

तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया, भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./एच.आर./एन.एच.एम./2014/9111 भोपाल, दिनांक : 31/10/14

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

   मध्यप्रदेश।

विषयः वर्ष 2014–15 में मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्र क्र./आरसीएच/एमएच/2013–14/818, दिनांक 29.08.2013।

2. इस कार्यालय का पत्र क्र./आरसीएच/शिशु स्वास्थ्य/2013/7122 दिनांक 22.04.2013।

––000––

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा शिशुरोग विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम व अन्य स्टाफ को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही थी। वर्ष 2014–15 की शेष अवधि के लिये डिलेवरी पाईटस के रूप में चिन्हाकिंत प्रदेश की समस्त संस्थाओं पर पदस्थ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। कृपया निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्ति उपरांत प्रोत्साहन राशि दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रदान की जाना सुनिश्चित करें।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एमसीएच लेवल 1, 2 व 3 पर देय प्रोत्साहन राशि

क्र.	संस्था का प्रकार	स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता	प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह	अधिकतम देय प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह/प्रतिवर्ष
1.	जिला चिकित्सालय (केवल उच्च प्राथमिकता वाले 17 जिलों हेतु)	स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन, निश्चेतना विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ	प्रतिमाह 10 सी–सेक्शन के उपरांत प्रति सी–सेक्शन रूपये 3,000/– स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन को रू. 1000/–, निश्चेतना विशेषज्ञ को रू. 750/–, शिशु रोग विशेषज्ञ को रू. 500/–, असिस्ट करने वाले मेडिकल ऑफीसर को रू. 300/–, स्टाफ नर्स को रू. 200/–, ओ.टी. असिस्टेंट को रू. 100/– तथा सपोर्ट स्टाफ को रू. 150/– ।	प्रति संस्था प्रसव की कुल संख्या के 10 प्रतिशत प्रसव की अधिकतम संख्या तक देय। अधिकतम मासिक प्रोत्साहन राशि चिकित्सकों हेतु रू. 15000/–, स्टाफ नर्स हेतु रू. 5000/–, ओ.टी. असिस्टेंट हेतु रू. 1500/–, तथा सम्पूर्ण सपोर्ट स्टाफ हेतु रू. 2250/–।

2.	सीमॉक एम.सी.एच. लेवल–3, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सिविल अस्पताल	स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, मेटर्निटी विंग में कार्यरत महिला चिकित्सा अधिकारी (नियमित/संविदा/बाण्डेड)	प्रतिमाह 05 सी–सेक्शन के उपरांत प्रति सी–सेक्शन रूपये 3,000/– स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन को रू. 1000/–, निश्चेतना विशेषज्ञ को रू. 750/–, शिशु रोग विशेषज्ञ को रू. 500/–, असिस्ट करने वाले मेडिकल ऑफीसर को रू. 300/–, स्टाफ नर्स को रू. 200/–, ओ.टी. असिस्टेंट को रू. 100/– तथा सपोर्ट स्टाफ को रू. 150/– ।	प्रति संस्था प्रसव की कुल संख्या के 10 प्रतिशत प्रसव की अधिकतम संख्या तक देय। अधिकतम मासिक प्रोत्साहन राशि चिकित्सकों हेतु रू. 15000/–, स्टाफ नर्स हेतु रू. 5000/–, ओ.टी. असिस्टेंट हेतु रू. 1500/–, तथा सम्पूर्ण सपोर्ट स्टाफ हेतु रू. 2250/–।
3.	बीमॉक एम.सी.एच. लेवल 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल (उच्च प्राथमिकता वाले 17 जिलों हेतु)	चिकित्सा अधिकारी (नियमित/संविदा/बाण्डेड) स्टॉफ नर्स तथा ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. (नियमित/संविदा)	प्रतिमाह 150 प्रसव कराने तथा 10 प्रतिशत जोखिम प्रबंधन करने व जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने पर :– चिकित्सको को रू. 40000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम को रू. 30000/–।	प्रति संस्था चिकित्सको हेतु रू. 40000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 30000/– प्रतिमाह। किसी एक चिकित्सक हेतु रू. 10000/– व स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह।
	बीमॉक एम.सी.एच. लेवल 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल (शेष 34 जिलो हेतु)	चिकित्सा अधिकारी (नियमित/संविदा/बाण्डेड) स्टॉफ नर्स तथा ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. (नियमित/संविदा)	प्रतिमाह 200 प्रसव कराने तथा 10 प्रतिशत जोखिम प्रबंधन करने व जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने पर :– चिकित्सको को रू. 30000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम को रू. 20000/–।	प्रति संस्था चिकित्सको हेतु रू. 30000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 20000/– प्रतिमाह। किसी एक चिकित्सक हेतु रू. 10000/– व स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह।
4.	बीमॉक एम.सी.एच. लेवल 2 व लेवल 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (उच्च प्राथमिकता वाले 17 जिलों हेतु)	चिकित्सा अधिकारी (नियमित/संविदा/बाण्डेड) स्टॉफ नर्स तथा ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. (नियमित/संविदा)	प्रतिमाह 50 प्रसव कराने तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने पर :– चिकित्सको को रू. 20000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम को रू. 15000/–।	प्रति संस्था चिकित्सको हेतु रू. 20000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 15000/– प्रतिमाह। किसी एक चिकित्सक हेतु रू. 10000/– व स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह।

	बीमॉक एम.सी.एच. लेवल 2 व लेवल 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शेष 34 जिलो हेतु)	चिकित्सा अधिकारी (नियमित/संविदा/बाण्डेड) स्टॉफ नर्स तथा ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. (नियमित/संविदा)	प्रतिमाह 75 प्रसव कराने तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने पर :– चिकित्सको को रू. 15000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम को रू. 10000/–।	प्रति संस्था चिकित्सको हेतु रू. 15000/–, स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 10000/– प्रतिमाह। किसी एक चिकित्सक हेतु रू. 10000/– व स्टाफ नर्स, एलएचव्ही व एएनएम हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह।
5.	एम.सी.एच. लेवल 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र (उच्च प्राथमिकता वाले 17 जिलों हेतु)	ए.एन.एम.	प्रतिमाह 10 प्रसव कराने तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने पर रू. 10000/–।	प्रति संस्था हेतु रू. 10000/– प्रतिमाह तथा प्रत्येक एएनएम हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह।
	एम.सी.एच. लेवल 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र (शेष 34 जिलो हेतु)	ए.एन.एम.	प्रतिमाह 20 प्रसव कराने तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने पर रू. 10000/–।	प्रति संस्था हेतु रू. 8000/– प्रतिमाह तथा प्रत्येक एएनएम हेतु रू. 4000/– प्रतिमाह।
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र (उच्च प्राथमिकता वाले 17 जिलों हेतु)	ए.एन.एम.	प्रतिमाह गंभीर रक्तअल्पता (7ग्राम से कम) वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान व सूचीबद्ध करने व उच्चतर संस्था के चिकित्सक द्वारा सत्यापन किये जाने पर रू. 100/– प्रति प्रकरण।	प्रति संस्था हेतु रू. 1000/– प्रतिमाह तथा प्रत्येक एएनएम हेतु रू. 500/– प्रतिमाह।
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र (उच्च प्राथमिकता वाले 17 जिलों हेतु)	ए.एन.एम.	गर्भवास्था उच्च जोखिम वाले प्रकरणों (गंभीर रक्तअल्पता को छोड़कर) की पहचान करने तथा निरंतर 2 माह तक फॉलोअप भेंट करने पर प्रतिवर्ष रू. 1000/– (यदि 7 प्रतिशत या अधिक जोखिम प्रकरणों की पहचान व समय पर रेफरल किया जाता है तो)।	प्रति संस्था हेतु रू. 2000/– प्रतिवर्ष तथा प्रत्येक एएनएम हेतु रू. 1000/– प्रतिवर्ष।

ईमॉक प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन का कार्य करने तथा निश्चेतना प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर द्वारा निश्चेतना विशेषज्ञ का कार्य करने पर उन्हे भी क्र. 01 व 02 के प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।

एस.एन.सी.यू. हेतु देय प्रोत्साहन राशि

क्र.	संस्था का प्रकार	स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता	प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह	अधिकतम देय प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह / प्रतिवर्ष
1.	एस.एन.सी.यू.	एस.एन.सी.यू. में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ / पीजीएमओ / बोन्डेड शिशु रोग चिकित्सक अथवा प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर	एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज के 03 माह की अवधि में 70 प्रतिशत शिशुओं का संस्था पर फॉलोअप किये जाने पर प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह।	प्रति संस्था रू. 12000 / – प्रतिमाह तथा प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह
2	एस.एन.सी.यू.	एस.एन.सी.यू. में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ / पीजीएमओ / बोन्डेड शिशु रोग चिकित्सक अथवा प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर	मृत्यु दर 10 प्रतिशत से कम होने पर प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह।	प्रति संस्था रू. 12000 / – प्रतिमाह तथा प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह
3	एस.एन.सी.यू.	एस.एन.सी.यू. में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ / पीजीएमओ / बोन्डेड शिशु रोग चिकित्सक अथवा प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर	रेफरल दर 5 प्रतिशत से कम होने पर प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह।	प्रति संस्था रू. 12000 / – प्रतिमाह तथा प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह
4	एस.एन.सी.यू.	एस.एन.सी.यू. में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ / पीजीएमओ / बोन्डेड शिशु रोग चिकित्सक अथवा प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर	एलबीडब्लू शिशु का सरवाइवल रेट 80 प्रतिशत तथा 2.5 किलोग्राम से अधिक के शिशु का सरवाइवल रेट 90 प्रतिशत से अधिक होने पर प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह।	प्रति संस्था रू. 12000 / – प्रतिमाह तथा प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह
5	एस.एन.सी.यू.	एस.एन.सी.यू. में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ / पीजीएमओ / बोन्डेड शिशु रोग चिकित्सक अथवा प्रशिक्षित मेडिकल ऑफीसर	इनबॉर्न एडमिशन रेट जिला चिकित्सालय के कुल प्रसव का 15 प्रतिशत से कम होने पर प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह।	प्रति संस्था रू. 12000 / – प्रतिमाह तथा प्रति चिकित्सक रू. 3000 / – प्रतिमाह

मेटरनिटी विंग में कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स, एएनएम एवं एलएचव्ही को प्रोत्साहन राशि निर्धारित लक्ष्य पूर्ति होने पर प्रदान की जाये। स्टाफ नर्स, एएनएम एवं एलएचव्ही को प्रोत्साहन राशि तभी देय होगी जबकि वह एसबीए तथा एनएसएसके प्रशिक्षित हो। एस.एन.सी.यू. हेतु प्रोत्साहन राशि केवल प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को ही देय होगी।

मॉनिटरिंग व्यवस्थाः–

संस्था प्रभारी चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा किये गये कार्यो का सत्यापन कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अग्रेषित करेंगे, जिसके आधार पर एक मुश्त मासिक राशि का भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार विशेषज्ञों, चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ के कार्यो की मॉनिटरिंग संभागीय संयुक्त संचालक/संभागीय उप संचालक/मातृ स्वास्थ्य सलाहकार/संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा समय–समय पर की जायेगी। यदि मॉनिटरिंग के दौरान यह पाया गया कि निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है तो संबंधित को भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वसूल की जा सकेगी। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर भी वसूली की जायेगी तथा संस्था प्रभारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि 1 नवम्बर 2014 से प्रदान की जाये तथा व्यय की बुकिंग एफएमआईएस में करना सुनिश्चित करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एनएचएम, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक : 31/10/14

पृ.क्र./एच.आर./एन.एच.एम./2014/9112
प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, एनआरएचएम, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. समस्त ओआईसी तथा एसपीएमयू सदस्य, मध्यप्रदेश।
10. समस्त विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय/जिला/विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,
एनएचएम, मध्यप्रदेश